न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 54/2018

1. अमय चौधरी पुत्र सिद्ध कुमार जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. दयावंती पत्नी सिद्ध कुमार जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. विजय लक्ष्मी पत्नी भजन लाल जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर। रैस्पोन्डेन्ट्स

(2) अपील संख्या 64/2018

1. अमय चौधरी पुत्र सिद्ध कुमार जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. दयावंती पत्नी सिद्ध कुमार जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. विजय लक्ष्मी पत्नी भजन लाल जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर। रैस्पोन्डेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 11.04.2018 व दिनांक 01.06.2018

उपस्थितिः—

श्री तेजा सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री विरेन्द्र सिहाग, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 09.07.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 का पेश कर कथन किया कि चक 1 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1, 2, 8 से 14, 16 से 25 की 3.64 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 11 से 19 की 2.405 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 41 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 13 से 18, 23 से 25 की 3.72 हैक्टेयर, मुरब्बर नम्बर 64/19 में 0.05 हैक्टेयर खाल कुल 11.11 हैक्टेयर खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता में दर्ज है। विवादित भूमि वादीगण के दादा बालुराम की पुश्तैनी सम्पत्ति थी। बालुराम की ही भूमि वादिया के ससुर व वादी संख्या 1 के पिता, वादी संख्या 2 के ससुर को प्राप्त हुई। भजन लाल की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी के नाम से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। विवादित भूमि पैतृक होने से वादीगण का जन्म से अधिकार है। वादिया के ससुर भजन लाल था उससे 7.406 हैक्टेयर भूमि वादिया की सास प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हो गई। भजन लाल की मृत्यु के बाद उसके लड़के सिद्ध कुमार की भी मृत्यु हो गई जिसके दो वारिस वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 है। इस प्रकार इसमें जो अकेली उसकी पत्नी के नाम से जो भूमि आई है उसमें भी वादिया का हक व हिस्सा बनता है। वादिया के पति के नाम से कुल 3.795 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र वादी संख्या 1 व पत्नी वादी संख्या 2 हकदार थे। इन दोनों के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में भूमि आनी चाहिए थी। सिद्ध कुमार की मृत्यु के पश्चात् इन्तकाल तीनों के नाम से हो गया। प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से जो इन्तकाल दर्ज हुआ वह शून्य है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध अधिकारों की घोषणा करवाकर चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 70/60 में अपने नाम से डिक्री करवाने के अधिकारी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रतिवादी संख्या 2 उक्त भूमि को आगे बेचने की फिराक में है, जबकि विवादित भूमि शामलात खाते की है जिसमें वादीगण का जन्मसिद्ध अधिकार है। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर वाद के अनुतोष की मद संख्या क से ग अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर कथन किया कि वादिया संख्या 2 का प्रतिवादी के पुत्र सिद्ध कुमार से तलाक हो चुका है इसलिए वह परिवार की सदस्य नहीं रही। विवादित भूमि भजन लाल की स्वयं की भूमि है। वादिया संख्या 2 इस भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। इसलिए विवादित भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज कर प्रतिवादी संख्या 2 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम का जवाब वादीगण ने पेश कर काउंटर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अनुतोष सहित 7 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 11.04.18 को वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 2 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर विवादित भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार घोषित कर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन के प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये जिसके विरुद्ध अपीलांट ने अपील संख्या 54/18 पेश की। विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 01.06.2018 को अन्तिम डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध अपील संख्या 64/2018 पेश की गई।

चूंकि दोनों ही अपीलों में पक्षकार एक होने से, विवादित भूमि एक होने से दोनों पक्षों द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार बनता है। वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया जिसका जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पेश किया गया। साथ ही काउंटर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को विवादित भूमि का खातेदार घोषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध करने में कानूनी भूल की है। तनकी संख्या 2 व 3 अपीलांट संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की है। अपीलांट संख्या 2 को अधिकारी नहीं माना है उस हद तक चुनौती दी जा रही है। अपीलांट संख्या 2 भी अपीलांट संख्या 1 की तरह विभाजन करवाने की अधिकारी है। जब अधीनस्थ न्यायालय में तनकी संख्या 2 व 3 वादी के पक्ष में निर्णित की है तो तनकी संख्या 1, 4, 5 व 6 का निर्णय पत्रावली पर आई साक्ष्य के विरूद्ध किया है जो उचित नहीं है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश कर दी थी एवं रिकार्ड तलब करने के आदेश दिये गये थे। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री दिनांक 01.06.2018 को जारी कर दी जो विधि विरूद्ध है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए वादीगण/अपीलांट का दावा वाद पत्र के अनुतोष के अनुसार डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट संख्या 2 का सिद्ध कुमार से तलाक हो चुका है इसलिए वह भूमि पाने की अधिकारी नहीं है। सिद्ध कुमार के पुत्र अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री की है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि भजन लाल की थी जो अपीलांट संख्या 1 का दादा व अपीलांट संख्या 2 का ससुर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का पति था। भजन लाल एवं उसके पुत्र सिद्ध कुमार की मृत्यु हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा वाद पेश करने पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित 7 वाद बिन्दु कायम किये गये। अपीलांट ने अपनी अपील व वाद पत्र में चक 1 एच बड़ा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर घोषित करने का अनुतोष चाहा है एवं चक 2 एच बड़ा में वादीगण के पिता व पति के नाम से जो भूमि थी उसमें प्रतिवादी संख्या 2 के नाम को नल एण्ड वोयड होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित कर इन्तकाल निरस्त कर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन करते हुए वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हक व हिस्सा घोषित किया है उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी की एवं तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री जारी की। उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से दोनों ही अपीलें खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भिमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर